Government of India
Wireless Planning & Coordination Wing
Ministry of Communications and Information Technology
Department of Telecommunications

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-330

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2009/वैशाख 25, 1931
No. 279] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2009/VAISAKHA 25, 1931

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
(बेतार तार योजना और समन्वय खंड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 मई, 2009

सा.का.नि. 324(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बेतार-तार यांत्रिकी (प्रायोगिक सेवा) नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बेतार-तार यांत्रिकी (प्रायोगिक सेवा) (संशोधन) नियम, 2009 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय बेतार-तार यांत्रिकी (प्रायोगिक सेवा) नियम 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

'(ii क) "मूल्य वर्धित सेवाओं के साफ्टवेयर डेवलपर और टेलीकाम आपरेटर" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो मूल्य वर्धित सेवाओं के साफ्टवेयर डेवलपर से संबंधित है या मूल्य वर्धित सेवाओं का प्रदाता है, जो भावी ग्राहकों को बेतार-तार सेटों का प्रयोग करना चाहता है ";

(3) उक्त नियमों के नियम 9 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

" (3) मूल्य वर्धित सेवाओं के साफ्टवेयर डेवलपर और टेलीकाम आपरेटर द्वारा प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए किसी अनुज्ञप्ति निम्नलिखित दरों पर फीस के संदाय करने पर अनुदत्त की जा सकेगी, अर्थात् :--

क्रम संख्या	अनुज्ञप्ति का प्रकार	अनुज्ञप्ति फीस	रायल्टी	विधि मान्यता की अवधि	विधि मान्यता का विस्तार	अधिकतम अनुज्ञेय अवधि
1	प्रायोगिक (गैर-विकिरणकारी)	5000 रु0	शून्य	6 मास	6 मास	1 वर्ष
2	प्रायोगिक (विकिरणकारी)	5000 रु0	विस्तार के समय विद्यमान फार्मूला या दरों के अनुसार	3 मास	3 मास	6 मास

परंतु प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए आवृति को गैर व्यतिकरण और गैर संरक्षण आधार पर मंजूरी दी जाएगी और वह भी विनिर्दिष्ट अवस्थानों के लिए :

परंतु यह और कि अनुज्ञप्ति की प्रभावी तारीख से तीन मास की अवधि के लिए खंड (3) में यथाउल्लिखित रायल्टी को गैर विकिरणकारी अनुज्ञप्ति और विकिरणकारी अनुज्ञप्ति के लिए प्रभारित नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और भी कि कोई अनुज्ञप्ति धारक, अनुज्ञप्ति के पूर्ण उपयोग करने की अपनी असमर्थता के आधार पर या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसमें रद्दकरण पर इसकी संदत्त फीस का प्रतिदाय करने का हकदार नहीं होगा ।"

(4) उक्त नियमों के नियम 10 को उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्याकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

" 10(2) मूल्य वर्धित सेवाओं के साफ्टवेयर डेवलपर और टेलीकाम आपरेटर को अनुदत्त की गई किसी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञप्ति की समाप्ति के कम से कम एक मास पूर्व नियम 9 में निर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन और फीस की प्राप्ति पर नवीकरण किया जाएगा और यह केन्द्रीय सरकार की ओर से आज्ञापक नहीं होगा कि वह अनुज्ञप्तिधारी को नवीकरण की मंजूरी दे

... कि वह अनुज्ञप्तिधारी को नवीकरण की फीस का संदाय करने के लिए सूचना भेजे" ।

[आर-11014/12/2007-एनटी]

महा सिंह, सहायक बेतारतार सलाहकार

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1164 तारीख 11 अगस्त 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि.सं.160/88 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

(Wireless Planning and Coordination Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2009

G.S.R. 324(E).—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Teleg Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules furth amend the Indian Wireless Telegraphy (Experimental Service) Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Wireless Telegraphy (Experimental Ser (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Wireless Telegraphy (Experimental Services) Rules, 1962 (herein referred to as the said rules), in rule 2, after clause (ii), the following clause shall be inse namely:-

'(ii a) " Software Developer and Telecom Operator of Value Added Services" means any pe who, deals in software development or a service provider of value added services, want experiment the wireless sets to prospective clients';

(3) In rule 9 of the said rules, after, Sub-rule (2), the following Sub-rule shall be inse namely:-

" (3) a licence for the purpose of experiment by Software Developer and Telecom Operato Value Added Services may be granted on payment of a fee at the following rates, namely:-

Serial Number	Type of Licence	Licence Fee	Royalty	Period of validity	Extension of Validity	Maximu permiss period
1	Experimental (non-radiating)	Rs.5000/-	NIL	6 months	6 months	1 year
2	Experimental (Radiating)	Rs.5000/-	As per the formula or rates in existence at the	3 months	3 months	6 month

			in existence at the time of extension.			

Provided that the frequency for experimental purposes shall be granted on non-interference non-protection basis and that too for specific locations:

Provided further that no royalty as mentioned in clause (3) shall be charged for non-radia licence and for the radiating licence for the period of three month from the effective date of licei

Provided also that no holder of a licence shall be entitled to a refund of fees paid therefore on ground of his inability to make full use of the licence or on its cancellation by the cer Government.",

(4) In the said rules, rule 10 shall be numbered as sub-rule (1) there of and after sub-rule (1 numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"10 (2) A licence granted to Software Developer and Telecom Operator of Value Added S shall be renewed on receipt of an application and fee, as specified in Column (3) of the referred to in rule 9, at least one month before the expiry of the licence and it shall mandatory on the part of the Central Government to send a notice to the licensee to pay the r fees".

[R-11014/12/2

MAHA SINGH, Assistant Wireless

Notes : The principal rule were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Sect vide notification No. G.S.R. 1164, dated the 11th August 1962 and amendment vide No. 160/88.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2009

सा.का.नि. 325(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बेतार-तार यांत्रिकी (प्रदर्शन-अनु नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बेतार-तार यांत्रिकी (प्रदर्शन-अनुज्ञप्ति) (संशोधन) नि 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय बेतार-तार यांत्रिकी (प्रदर्शन-अनुज्ञप्ति) नियम 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित जाएगा अर्थात् :—

‘ (गक) “मूल्य वर्धित सेवाओं के साफ्टवेयर डेवलपर और टेलीकाम आपरेटर” से ऐसा कोई अभिप्रेत है जो मूल्य वर्धित सेवाओं के साफ्टवेयर डेवलपर से संबंधित है या मूल्य वर्धित सेवा प्रदाता है, जो भावी ग्राहकों को बेतार-तार सेटों का प्रदर्शन करना चाहता है ”;

(3) उक्त नियमों के नियम 4 के, उपनियम (2)में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखि अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“ (कक) मूल्य वर्धित सेवाओं के साफ्टवेयर डेवलपर और टेलीकाम आपरेटर द्वारा प्र प्रयोजन के लिए किसी अनुज्ञप्ति निम्नलिखित दरों पर फीस के संदाय करने पर अनुदत्त सकेगी, अर्थात् :--

क्रम संख्या	अनुज्ञप्ति का प्रकार	अनुज्ञप्ति फीस	रायल्टी	विधि मान्यता की अवधि	विधि मान्यता का विस्तार	अधिकतम अनुज्ञेय अवधि
1	प्रदर्शन आंतरिक	5000 रु0	विस्तार के समय विद्यमान फार्मूला या दरों के अनुसार	3 मास	विस्तार नहीं	3 मास
2	प्रदर्शन (बाह्य)	5000 रु0	विस्तार के समय विद्यमान फार्मूला या दरों के अनुसार	3 मास	विस्तार नहीं	3 मास

परंतु प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए आवृति को गैर व्यतिकरण और गैर संरक्षण आधार पर मंजूरी दी जाएगी और वह भी विनिर्दिष्ट अवस्थानों के लिए :

परंतु यह और कि अनुज्ञप्ति की प्रभावी तारीख से तीन मास की अवधि के लिए खंड (कक) में यथाउल्लिखित रायल्टी अनुज्ञप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए प्रभारित की जाएगी ;

परंतु यह और भी कि कोई अनुज्ञप्ति धारक, अनुज्ञप्ति के पूर्ण उपयोग करने की अपनी असमर्थता के आधार पर या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसमें रद्दकरण पर इसकी संदत्त फीस का प्रतिदाय करने का हकदार नहीं होगा ।"

(4) उक्त नियमों के नियम 5 में उपनियम के खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

" (ग) नियम 4 के अधीन मूल्य वर्धित सेवाओं के साफ्टवेयर डेवलपर और टेलीकाम आपरेटर को अनुदत्त की गई किसी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञप्ति की समाप्ति के कम से कम एक मास पूर्व नियम 4 में निर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन और फीस की प्राप्ति पर नवीकरण किया जाएगा और यह केन्द्रीय सरकार की ओर से आज्ञापक नहीं होगा कि वह अनुज्ञप्तिधारी को नवीकरण की फीस का संदाय करने के लिए सूचना भेजे" ।

[आर-11014/12/2007-एनटी]

महा सिंह, सहायक बेतारतार सलाहकार

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1165 तारीख 11 अगस्त 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि.सं.159/88 तारीख 12 मार्च, 1988 द्वारा संशोधित किए गए ।

1804 GI/09-2

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2009

G.S.R. 325(E).—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Tele; Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules furth amend the Indian Wireless Telegraphy (Demonstration Licence) Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Wireless Telegraphy (Demonstration Lic (Amendment) Rules 2009.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication of this notificati the Official Gazette.

2. In the Indian Wireless Telegraphy (Demonstration Licence) Rules, 1962 (herein referred to as the said rules) in rule 2, after clause (c), the following clause shall be inse namely:-

'(ca) "Software Developer and Telecom Operator of Value Added Services" means, any pe who deals in software development or a service provider of value added services, wan demonstrate the wireless sets to prospective clients';

3. In rule 4 of the said rules, in sub-rule (2), after clause (a), the following clause sha

3. In rule 4 of the said rules, in sub-rule (2), after clause (a), the following clause sha
inserted, namely:-

"(aa) a licence for the purpose of demonstration by Software Developer and Telecom Operat
Value Added Services may be granted on payment of a fee at the following rates, namely:-

Serial Number	Type of Licence	Licence Fee :	Royalty	Period of validity	Extension of Validity	Maxim permiss period
1	Demonstration (Indoor)	Rs.5000/-	As per the formula or rates in existence at the time of extension.	3 months	No extension	3 month
2	Demonstration (Outdoor)	Rs.5000/-	As per the formula or rates in existence at the time of extension.	3 months	No extension	3 month

Provided that the frequency for demonstration purposes shall be granted on non-interference
non-protection basis and that too for specific locations:

Provided further that no royalty as mentioned in clause (aa) shall be charged for the period of t
month from the effective date of licence:

Provided also that no holder of a licence shall be entitled to a refund of fees paid therefore on
ground of his inability to make full use of the licence or on its cancellation by the Ce
Government."

4. In rule 5 of the said rules, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely

"(c) A licence granted to Software Developer and Telecom Operator of Value Added Servi
under rule 4, shall be renewed on receipt of an application and fee as specified in column (3) of
Table referred to in rule 4, at least one month before the expiry of the licence and it shall not
mandatory on the part of the Central Government to send a notice to the licensee to pay the rene
fees".

[R-11014/12/2007-N

MAHA SINGH, Assistant Wireless Advi

Notes : The principal rule were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section
vide notification No. G.S.R. 1165 dated the 17th August 1962 and amendment vide G.S
No. 159/88 dated 12th March 1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.